बिहार सरकार

कृषि विभाग।

पत्रांक– एन0एम0एस0ए0को0–17/2015– 7/6 / कृ0 पटना, दिनांक– 9/2/2016

प्रेषक,

प्रभु राम,
निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वाराः वित विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय :– केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) का बिहार राज्य में 2015–16 में कुल 2338.00 लाख रुपये में से अनुसूचित जनजाति के लिए केन्द्रांश 14.028 लाख रूपये एवं राज्यांश 9.352 लाख रूपये कुल 23.38 लाख रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश– स्वीकृत

केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (NMSA) के तहत परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में जैविक खेती एवं उसके पी0जी0एस0 आधारित जैविक प्रमाणीकरण कार्य हेतु कुल अनुदान लागत 2338.00 लाख रू0 के अधीन अनुसूचित जनजाति के लिए केन्द्रांश 14.028 लाख रूपये एवं राज्यांश 9.352 लाख रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति संलग्न अनुसूची–1 के अनुसार सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को प्रदान की जाती है।

2. कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग एवं रसायनिक कीटनाशियों के अंधाधुंध उपयोग से मृदा के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है एवं वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है । इनका प्रभाव फसलों के उत्पाद पर भी अवशिष्ट के रूप में रह जाता है जिससे मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । साथ ही मृदा की उर्वरता एवं उत्पादन के टिकाऊपन में लगातार कमी हो रही है तथा उत्पादन लागत मूल्य अधिक होने के कारण किसानों को समूचित आर्थिक लाभ भी नहीं हो पा रहा है। इन्ही तथ्यों को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा जैविक खेती एवं उसके पी0जी0एस0 आधारित जैविक प्रमाणीकरण हेतु परम्परागत कृषि विकास योजना की शुरूआत वर्ष 2015–16 से की जा रही है। इस योजना में जैविक खेती में प्रयोग होने वाले अधिकांश उपादान कृषक अपने स्त्रोत से अपने प्रक्षेत्र पर ही तैयार कर सकेगें, तथा इसके लिए सरकार द्वारा सहायतानुदान दिया जायेगा। इससे उनकी खेती की लागत में कमी आयोगी, उपादान हेतु बाजार पर निर्भरता घटेगी तथा आय में वृद्वि होगी । जैविक खेती से उत्पन्न होने वाले उत्पाद रसायन/कीटनाशी के हानिकारक अवशेष से मुक्त रहेंगे, जिसका उपभोक्ता के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। पी0जी0एस0 आधारित जैविक खेती एवं प्रमाणीकरण में उत्पादक–विपणनकर्ता–उपभोक्ता तीनों की सहभागिता होगी। इसमें उत्पादक समूह स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होगे।

3. यह केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसमें 60 % राशि केन्द्रांश एवं 40 % राशि राज्यांश होगा। वित्तीय वर्ष 2015–16 में योजना कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा 2338.00 लाख रूपये की कार्ययोजना की स्वीकृति दी गई है।

4. भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुसार इस योजनान्तर्गत क्षेत्र चयन में वर्षाश्रित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी है फलस्वरूप इस योजनान्तर्गत जलछाजन परियोजना के अंतर्गत चयनित जिले यथा गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, पटना, नालन्दा, मुंगेर, जमुई, बांका, लखीसराय, शेखपुरा, रोहतास एवं कैमूर तथा एक अतिरिक्त जिला दरभंगा में कार्यान्वित की जाएगी।
5. योजना का कार्यान्वयन 50 एकड़ के कलस्टर में किया जायेगा। कलस्टर किसी एक गॉव अथवा अगल–बगल के गॉवों को मिलाकर चयन किया जा सकता है। कलस्टर के चयन में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित ग्रामों को प्राथमिकता दी जाएगी। कलस्टर का चयन वैसे क्षेत्रों में किया जाएगा जहॉ लघु एवं सीमांत कृषकों की बहुलता हो।
6. कलस्टर में एक किसान को अधिकतम 1 एकड़ तक के लिए सहायता अनुदान देय होगा।
7. यह योजना एक ही कलस्टर में लगातार तीन वर्षों तक संचालित की जाएगी। इसके लिए लाभार्थी समूहों का गठन किया जाएगा।
8. कलस्टर के चयनित कृषकों को प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष विभिन्न घटकों यथा जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण एवं समूह का गठन, जैविक प्रमाणीकरण एवं उत्पाद का गुण नियंत्रण, जैविक खेती हेतु एक्शन प्लान का निर्माण, मेड़ पर नेत्रजन स्थीरिकरण हेतु पौध रोपन, समेकित जैविक उर्वरता प्रबंधन, उत्पादों के पैकेजिंग/लेवलिंग ब्रॉडिंग तथा मार्केटिंग आदि कार्य हेतु भारत सरकार से निर्गत मार्गदर्शिका के अनुरूप सहायता अनुदान दिया जाएगा।
9. भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वारा प्राप्त निदेश के अनुरूप राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति (एस0एल0ई0सी0) योजना की स्वीकृति, कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण करेगी तथा जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति (डी0एल0ई0सी0) परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा पर्यवेक्षण का कार्य करेगी। जिला स्तर पर योजना का कार्यान्वयन, फसल आधारित कलस्टर में जिला कृषि पदाधिकारी तथा फल/सब्जी आधारित कलस्टर में सहायक निदेशक (उद्यान) द्वारा किया जाएगा।
10. प्रशासी विभाग द्वारा योजना कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत वित्तीय अधिसीमा के अधीन आवश्यक निर्णय लिया जा सकेगा, साथ ही योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु विस्तृत कार्यानुदेश तैयार किया जाएगा।
11. योजना के लिए जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–2 के रूप में संलग्न है।
12. वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के उद्व्यय में वृद्दि होने की स्थिति में विभाग द्वारा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य इस प्रस्ताव में सन्निहित दिशानिर्देशों के आलोक में बढ़ाया जा सकेगा।
13. केन्द्रांश एवं राज्यांश से प्राप्त राशि के आलोक में कार्यान्वयन एजेन्सी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कोषागार के माध्यम से राशि की निकासी की जाएगी तथा निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में योजना कार्यान्वयन कराया जाएगा।
14. योजना अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए स्वीकृत केन्द्रांश की राशि 14.028 लाख रू० (चौदह लाख दो हजार आठ सौ रूपये) का व्यय ''मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि–कर्म, मॉग सं०–01, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–0258–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड–पी० 2401007960258 विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा'' में वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपबंधित राशि 24.00 लाख रू० (चौबीस लाख रूपये) से विकलनीय होगा। राज्यांश की राशि 9.352 लाख रू० (नौ लाख पैतीस हजार दो सौ रूपये) का व्यय ''मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि–कर्म, मॉग सं०–01, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष –0358– राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड–पी० 2401007960358 विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा'' में वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपबंधित राशि 86.08 लाख रू० (छियासी लाख आठ हजार रूपये) से विकलनीय होगा।
15. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के

कार्यान्वयन में माननीय मंत्री, कृषि की स्वीकृति दिनांक 03.07.2015 को प्राप्त है। तत्संबंधी स्वीकृति संचिका संख्या– एन0एम0एस0ए0को0–17/2015 के पृ0सं0– 15/टि0 पर प्राप्त है।

16. मंत्रिपरिषद की दिनांक 05.09.2015 की बैठक में स्वीकृति प्राप्त है।
17. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।
18. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या एन0एम0एस0ए0को0–17/2015 के पृ0सं0– 36/टि. पर दिनांक– 02.02.16 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(प्रभु राम) 9/2/16
निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञापांक – एन॰एम॰एस॰ए॰को॰–17/2015 716 / कृ0, पटना, दिनांक– 9/2/ /2016
प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव।

ज्ञापांक – एन॰एम॰एस॰ए॰को॰–17/2015 716 / कृ0, पटना, दिनांक– 9/2/ /2016
प्रतिलिपिः– सभी सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव।

ज्ञापांक – एन॰एम॰एस॰ए॰को॰–17/2015 716 / कृ0, पटना, दिनांक– 9/2/ /2016
प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, पटना, नालन्दा, मुंगेर, जमुई, बांका, लखीसराय, शेखपुरा, रोहतास, कैमूर एवं दरभंगा/संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्य), गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा/जिला कृषि पदाधिकारी/सहायक निदेशक (उद्यान) गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, पटना, नालन्दा, मुंगेर, जमुई, बांका, लखीसराय, शेखपुरा, रोहतास, कैमूर एवं दरभंगा/बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव।

ज्ञापांक – एन॰एम॰एस॰ए॰को॰–17/2015 716 / कृ0, पटना, दिनांक– 9/2/ /2016
प्रतिलिपि– उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव।

अनुसूची – 01

परम्परागत कृषि विकास योजना अन्तर्गत जैविक खेती एवं उसके पी०जी०एस० आधारित प्रमाणीकरण कार्यक्रम का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप व्यय हेतु राशि की स्वीकृति वर्ष 2015–16

इकाई– भौतिक– संख्या (प्रत्येक कलस्टर 50 एकड) राशि– रूपये में

क0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	लक्ष्य		केन्द्रांश				राज्यांश				मदवार राशि का विवरण		कुल स्वीकृत राशि
		भौतिक कलस्टर	वित्तीय	सामान्य श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	सामान्य श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	जैविक खेती एवं प्रमाणीकरण	आकस्मिकता	
1	सहायक निदेशक उद्यान, पटना	65	46397477.06	23105943.578	4454157.80	278384.862	27838486.239	15403962.385	2969438.532	185589.908	18558990.826	45938096.024	459381.04	46397477.064
2	सहायक निदेशक उद्यान, नालन्दा	102	72808348.62	36258557.615	6989601.47	436850.092	43685009.174	24172371.743	4659734.312	291233.394	29123339.450	72087473.761	720874.86	72808348.624
3	सहायक निदेशक उद्यान, रोहतास	17	12134724.77	6043092.936	1164933.58	72808.349	7280834.862	4028728.624	776622.385	48538.899	4853889.908	12014578.960	120145.81	12134724.771
4	जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास	3	2141422.02	1066428.165	205576.51	12848.532	1284853.211	710952.110	137051.009	8565.688	856568.807	2120219.817	21202.20	2141422.018
5	सहायक निदेशक उद्यान, कैमूर	5	3569036.70	1777380.275	342627.52	21414.220	2141422.018	1184920.183	228418.349	14276.147	1427614.679	3533699.694	35337.00	3569036.697
6	सहायक निदेशक उद्यान, गया	25	17845183.49	8886901.376	1713137.61	107071.101	10707110.092	5924600.917	1142091.743	71380.734	7138073.395	17668498.471	176685.02	17845183.486
7	सहायक निदेशक उद्यान, नवादा	19	13562339.45	6754045.046	1301984.59	81374.037	8137403.670	4502696.697	867989.725	54249.358	5424935.780	13428058.838	134280.61	13562339.450
8	सहायक निदेशक उद्यान, औरंगावाद	10	7138073.39	3554760.550	685255.05	42828.440	4282844.037	2369840.367	456836.697	28552.294	2855229.358	7067399.388	70674.01	7138073.395
9	सहायक निदेशक उद्यान, जहानावाद	10	7138073.39	3554760.550	685255.05	42828.440	4282844.037	2369840.367	456836.697	28552.294	2855229.358	7067399.388	70674.01	7138073.395
10	सहायक निदेशक उद्यान, अरवल	5	3569036.70	1777380.275	342627.52	21414.220	2141422.018	1184920.183	228418.349	14276.147	1427614.679	3533699.694	35337.00	3569036.697
11	सहायक निदेशक उद्यान, मुंगेर	9	6424266.06	3199284.495	616729.54	38545.596	3854559.633	2132856.330	411153.028	25697.064	2569706.422	6360659.450	63606.61	6424266.055
12	सहायक निदेशक उद्यान, बांका	5	3569036.70	1777380.275	342627.52	21414.220	2141422.018	1184920.183	228418.349	14276.147	1427614.679	3533699.694	35337.00	3569036.697
13	सहायक निदेशक उद्यान, जमुई	30	21414220.18	10664281.651	2055765.14	128485.321	12848532.110	7109521.101	1370510.092	85656.881	8565688.073	21202198.165	212022.02	21414220.184
14	सहायक निदेशक उद्यान, लखीसराय	5	3569036.70	1777380.275	342627.52	21414.220	2141422.018	1184920.183	228418.349	14276.147	1427614.679	3533699.694	35337.00	3569036.697
15	सहायक निदेशक उद्यान, शेखपुरा	7	4996651.38	2488332.385	479678.53	29979.908	2997990.826	1658888.257	319785.688	19986.606	1998660.550	4947179.572	49471.80	4996651.376
16	सहायक निदेशक उद्यान, दरभंगा	10	7138073.39	3554760.550	685255.05	42828.440	4282844.037	2369840.367	456836.697	28552.294	2855229.358	7067399.388	70674.01	7138073.395
	कुल योग	327	233415000.00	116240670.000	22407840.000	1400490.000	140049000.000	77493780.000	14938560.000	933660.000	93366000.000	231103960.000	2311040.00	233415000.000

अनुसूची – 02

परम्परागत कृषि विकास योजना का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य वर्ष 2015–16

क0सं0	जिला का नाम	लक्ष्य	
		भौतिक कलस्टर	वित्तीय लाख रू0
1	पटना	65	459.3810
2	नालन्दा	102	720.8748
3	रोहतास	20	141.3480
4	कैमूर	5	35.3370
5	गया	25	176.6850
6	नवादा	19	134.2806
7	औरंगावाद	10	70.6740
8	जहानावाद	10	70.6740
9	अरवल	5	35.3370
10	मुगेर	9	63.6066
11	बांका	5	35.3370
12	जमुई	30	212.0220
13	लखीसराय	5	35.3370
14	शेखपुरा	7	49.4718
15	दरभंगा	10	70.6740
16	आकस्मिकता		26.9602
	कुल	327	2338.0000